इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जून 2024—ज्येष्ठ 22, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जून 2024

क्र. 8917-79-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 जून 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -२) अधिनियम, २०२४

[दिनांक 5 जून, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 12 जून, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २०१४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-२) अधिनियम, २०२४ है.

३१ मार्च, २०१४ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये १८,३७,९१,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये अठारह करोड़ सैंतीस लाख इक्यानवे हजार होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २०१४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २०१४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	पूंजीगत/राजस्व	(३) आधिक्य मतदत्त रुपये	भारित रुपये	योग रुपये
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	१८,१८,४०,०००	-	१८,१८,४०,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण	पूंजीगत	-	१९,५१,०००	१९,५१,०००
	योग :	राजस्व :	१८,१८,४०,०००	-	१८,१८,४०,०००
		पूंजीगत :	-	१९,५१,०००	१९,५१,०००
	महायोग :		१८,१८,४०,०००	१९,५१,०००	१८,३७,९१,०००

भोपाल, दिनांक 12 जून 2024

क्र. 8917-79-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 6 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 6 OF 2024

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2024.

[Received the assent of the Governor on the 5th June, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th June, 2024.]

An Act to provide for the Authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2014 in excess of the amounts grnated for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Act, 2024.

Issue of Rs. 18,37,91,000 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2014.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. Eighteen Crore Thirty Seven Lakh Ninety One Thousand shall be deemed to have been authorized to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 2014 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sum deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act, shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March, 2014.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	Capital / Revenue	(3) Excess Voted	Charged	Total
			Rs.	**Rs.**	Rs.
02.	Other expenses related to General Administration Department	Revenue	18,18,40,000	-	18,18,40,000
21.	Housing & Environment	Capital	-	**19,51,000**	**19,51,000**
	Total :	**Revenue** —	18,18,40,000	-	18,18,40,000
		Capital —	-	**19,51,000**	**19,51,000**
	Grand Total	—	18,18,40,000	**19,51,000**	18,37,91,000

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.